## प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया

**कोटा,** (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर के प्रशासनिक भवन का गुरूवार को महापौर मंजू मेहरा एवं आयुक्त वासुदेव मालावत ने निरीक्षण किया और भवन की मेन्टिनेन्स से सम्बंधित आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बधित अधिकारी को प्रदान किएनगर निगम कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा एवं आयुक्त वासुदेव मालावत ने गुरूवार को बिल्डिंग का दौरा किया और बिल्डिंग के दौरे के दौरान अधिशाषी अभियन्ता पी.पी.गर्ग व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अशोक जैन साथ में उपस्थित रहे। बिल्डिंग के निरीक्षण के दौरान बिल्डिंग में कुछ खामियां पाई गई जिनकों दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी सहायक अभियन्ता मोतीलाल चौधरी को मौके पर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। साथ ही उन्होंने आदेशित किया कि बिल्डिंग में जहां कही भी आवश्यकतानुसार मेन्टिनेस की जरूरत हो तो उसको जल्द से जल्द मेन्टिनेस करवाई जाए।

# फायरिंग व लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार

**कोटा,** (निसं)। राजस्थान में कोटा पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने फायरिंग और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को पकड़ा है एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि उद्योग नगर थाना इलाके में 2 दिन पहले हिस्ट्रीशीटर हजरत उर्फ गुड्डू के घर पर फायरिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को दबोच लिया है। यह बदमाश कई मामलों में वांछित हैं। इनके खिलाफ 64 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं।

इनमें कई बदमाशों पर हजारों रुपए तक का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो चाकू, तीन देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी केसर सिंह शेखावत से बताया कि बदमाशों के लगातार फायरिंग करने के बाद पुलिस तंत्र को एक साथ एक्टिव किया गया। जहां भी यह बदमाश छुप सकते थे, उन पूरे स्थानों पर दबिश दी गई। जिसके बाद में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह बदमाश शहर में चल रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के ठेकेदारों से हफ्ता वसूली कर रहे थे उन्हें धमका कर उनसे फिरौती ले रहे थे। इसके तौर पर यह कुछ ठेकेदारों को सुरक्षा भी दे रहे थे।

एसपी ने कहा कि जिस तरह से ठेकेदार भी बाहर के व्यक्ति हैं उन्हें भी अगर कोई बाहरी व्यक्ति तंग करता है तो वह इस तरह की सुरक्षा लेना पसंद कर रहे थे। ऐसे में इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा गया है और इन बदमाशों के आर्थिक स्रोत को तोड़ा जाएगा जिससे कि यह आगे पनप नहीं पाए। डेढ़ माह में 5 बार फायरिंग व लूट कर पुलिस को दी चुनौती रू एसपी शेखावत ने बताया कि आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बीते डेढ़ महीने में 5 वारदातें करना कबूल है। इनमें 9 जून को कुन्हाड़ी थाना इलाके में शंभूपुरा में बन रहे नए ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसायी नवरत्न शर्मा और उसके साथी दीपक पर चौथ वसूली के लिए फायरिंग की थी। इसके बाद 21 जून को झालावाड़ जिले के खानपुर में महेश नारायणी पर फायरिंग व चाकू से हमला कर ढाई लाख रुपए लूट लिए थे। बीती 26 जून 2022 को नयापुरा इलाके में सेंट्रल जेल के सामने सब्जीमंडी व्यवसायी अखलाक हुसैन पर भी फायरिंग कर आरोपी फरार हो गए थे।

कोटा पुलिस ने लूट व फायरिंग की वारदात करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

**हजारों रुपए का घोषित है पहले से इनाम:-** उद्योग नगर थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि इन बदमाशों में शामिल कुन्हाड़ी मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना निवासी 21 वर्षीय अमन उर्फ लाला पर 23 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम रखा है। इसके अलावा सरफराज उर्फ बिट्टू (21) पर 12 मुकदमे, अरमान उर्फ डब्बू (21) पर 12 व आसिफ अहमद उर्फ मोटा (22) पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों पर पुलिस ने पांच-पांच हजार का इनाम रखा हुआ है।

रहीम उर्फ लक्की (20) पर चार मुकदमे और 2 हजार रुपए का इनाम है। यह चारों आरोपी गोविंद नगर इलाके में ही रहते हैं। इसके अलावा झालावाड के भालता निवासी लखन उर्फ माखन राठौर पर दो मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों पर लूट, जानलेवा हमला, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, फिरौती वसूलना, फिरौती के लिए धमकाना सहित मामले दर्ज हैं. इनमें अधिकांश मुकदमे कोटा शहर के थानों में दर्ज है। इसके अलावा झालावाड़ और कोटा ग्रामीण पुलिस में भी कई थानों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

**पहले एक ही गैंग के सदस्य, अब जानी दुश्मन बने:-** एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि इनमें से अधिकांश बदमाश कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में शामिल हो गए थे। यह बदमाश अधिकांश 20 से 22 साल की उम्र के ही हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। ये हिस्ट्रीशीटर गुड्डू उर्फ हजरत अली की गैंग में ही शामिल थे। अब यह गैंग दो फाड़ हो गई है हजरत गुड्डू से डब्बू, बिट्टू, लक्की व अमन लाला अलग होकर उसकी की जान के दुश्मन बन गए हैं। इन लोगों ने 22 मई और 5 जुलाई को हजरत उर्फ गुड्डू पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की है। इसमें दोनों बार गुड्डू और उसका बेटा बाल-बाल बचा है. दोनों बार उद्योग नगर थाने में मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है. आरोपियों ने यह फायरिंग हजरत उर्फ गुड्डू से अलग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए की है।

## नहाते समय तलाई में डूबने से दो चचेरे भाईयों की मौत

**बूंदी** (निसं)। सदर थाना क्षेत्र के गुढानाथावतान गांव में गुरूवार को तलाई मे नहाते समय डूबने से दो चचेरे भाइयों राजेन्द्र व कौशल की मौत हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बच्चे बकरी चरा रहे थे बकरियां चराते समय तेज गर्मी का अहसास होने पर दोनों कपडे उतारकर तलाई मे नहाने उतर गये एवं गहरे पानी में डूब गए। इस गांव के लोगों व पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस व एडीएम करतार सिंह एसडीएम हेमराज परिडवाल, तहसीलदार गणेश खंगार टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची सिविल डिफेन्स की टीम ने बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बच्चो को अचेत अवस्था में बाहर निकाला जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

## बाहरी तत्काल टिकट दलाल पर कार्रवाई

**कोटा,** (निसं)। रेलवे की छवि को अनैतिक रूप से धूमिल करने की कोशिश बाहरी शातिर प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा प्रयास किया जाता जिसको नाकामयाब करने और ऐसे लोगों पर शीघ्र सख्त कदम लेने में रेल प्रशासन सदैव तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। इसी क्रम में तत्काल ई-टिकट दलाल चिराग जो भरतपुर निवासी है जो 50-100 रूपये दलाली के रूप में अधिक लेकर तत्काल ई-टिकट उपलब्ध कराता था जिसकी भनक जैसे ही कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित को लगी वैसे ही भरतपुर पोस्ट के रेल सुरक्षा बल के इंचार्ज द्वारा 04 जुलाई को उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई। उसके पास एक भविष्य की यात्रा की टिकट, कीमत 1285 और 61 यात्रा की हुई टिकट बरामद की गई एवं कंप्यूटर जब्त कर लिया गया है।

## राशन सामग्री का वितरण किया

**कोटा,** (निसं)। लांयस क्लब कोटा की ओर फूड फॉर हंगर कार्यक्रम के तहत जरूरत मंदो को राशन सामग्री का वितरण गुरूवार को किया गया। अध्यक्ष जुगल किशोर सोनी ने बताया कि गुरूवार को मदर टेरेसा होम में क्लब सदस्यों ने राशन सामग्री का जरूरतमंद लोगों दी। सचिव पुरुषोत्तम पालीवाल ने बताया सतीश पंजवानी के सौजन्य से राशन सामग्री वितरित किया गया।

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां**

क्रमांक:-नपबा/रुपां./2020/2772 **लोक सूचना** दिनांक:-5.7.22

श्री पानाचंद पुत्र श्री किशोरीलाल जाति मेघवाल निवासी बारां, सीताराम पुत्री श्री किशनलाल जाति मेघवाल निवासी नियाना तह. बारां, राजेन्द्र भुमल्या पुत्र श्री लड्डूलाल जाति वाल्मिकी निवासी मुरली जी के मंदिर के पास हरिजन बस्ती शाहबाद वार्ड बारां, अक्षय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति हरिजन निवासी मुरली जी के मंदिर के पास हरिजन बस्ती शाहबाद वार्ड बारां, श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री प्रमोद जैन जाति महाजन निवासी चौमुखा बाजार बारां जिला बारां, कैलाश पारस पुत्र गोपाललाल जाति जाटव निवासी जगजीवन राम कालोनी बारां, ज्योति पत्नी कैलाश पारस जाति जाटव निवासी जगजीवन राम कालोनी बारां राजस्थान में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (फार्म हाउस प्रयोजनार्थ) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात :-

| जिले सहित तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| बारां तहसील व जिला बारां | मेलखेड़ी | खसरा नं. | रकबा |
| | | 1516/1511 | 0.85 है. |
| | | 1501/1340 | 0.85 है. |
| | | 1519/1517 | 0.85 है. |
| | | 1518/1517 | 0.85 है. |
| | | 1541/1342 | 0.39 है. |
| | | 1542/1342 | 0.38 है. |
| | | 1345 | 0.06 है. |
| | | 1539/1346 | 0.07 है. |
| | | 1538/1346 | 0.02 है. |
| | | 1347 | 0.15 है. |
| | | 1544/1349 | 0.30 है. |
| | | 1545/1349 | 0.295 है. |
| | | कुल किता 12 | कुल रकबा 5.065 है. |

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.......को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

**नाम परिवर्तन**

मैंने अपना नाम गुणवंत कुमार से बदलकर गौरव तंवर रख लिया है। भविष्य में मुझे गौरव तंवर पुत्र राजेंद्र कुमार सैनी निवासी रामपुरा कोतवाली के पीछे कोटा के नाम से जाना पहचाना जाए।

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को मेरे पक्षकार पदम माधवानी पुत्र नन्दकिशोर माधवानी निवासी कंसुआ कोटा की और से सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार ने रशीद अनवर पुत्र काजी अलदीन निवासी पुरानी सब्जीमण्डी से उनका मिल्कियत मकान नं.-49 पैमाईश-700 वर्गफुट वाके विजय मार्केट पुरानी सब्जीमण्डी कोटा को क्रय करने का इकरार किया है। अत: हर खास आम को सूचित किया जाता है कि उक्त मकान के विक्रय के बाबत किसी भी वित्तीय संस्था या व्यक्ति को कोई उज्र आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के अन्दर मेरे पक्षकार अथवा मुझे हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे। अन्यथा किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

भवदीय

विनोद कामरा एडवोकेट

**पश्चिम मध्य रेल**

**सिगनल एवं दूर संचार विभाग**

**निविदा सूचना दिनांक 05.07.2022**

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी आरे से वरि.मं.सं.एवं दू.सं.इंजी.(सिगनल एवं दूर संचार) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल निम्नलिखित कार्यो Tender No. - कोटा/एसएण्डटी/सिग/2021/21R2 के लिए निर्धारित ई निविदाएं आमंत्रित करते है टेण्डर खुलने की तारीख एवं समय टेबल में दर्शाया गया है। इस निविदा के लिये किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजर अंदाज कर दिया जायेगा। **टेण्डर संख्या**- कोटा/एसएण्डटी/सिंग /2021/21R2 **कार्य का नाम**- कोटा डिवीजन- इंटरलॉकिंग ऑफ नॉन इंटरलॉक्ड एलसी गेटस हेविंग टीवीयू मोर देन 20000 ऑन कोटा डिवीजन (04 नं.), **कार्य की अनुमानित लागत** - रू. 1,38,47,416.76, **तारीख एवं समय**- दिनांक 01.08.2022 को 15:00 बजे तक, पूर्ण विवरण वेबसाईट https://www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई है। निविदा/बोलीदाताओं के पास कक्षा।।। डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदा/बोलीदाताओं ई-टेण्डरिंग पर भाग ले सकते है। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किया जाना चाहिये। पंजीकृत निविदा एण्ड ब्रेज्ब्ब रजिस्टर होना चाहिये।

वरि.मं.सं. एवं.दू.सं.इंजी/सिगनल एवं वर्क्स पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल

कोरोना को है हराना, तो टीकाकरण जरूर कराना

**कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा**

क्रमांक:-653 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-6.7.22

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड/आवास संख्या 525 गणेश नगर आवासीय योजना में हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 31.12.2014 को श्रीमती तृप्ती शर्मा पत्नी श्री ललित शर्मा के नाम से हस्तान्तरण किया गया था। आवंटी श्रीमती तृप्ती शर्मा पत्नी श्री ललित शर्मा द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री अरविन्द कुमार राठौर पुत्र स्व. श्री मोहनलाल राठौर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2016 को श्री मुकेश महावर पुत्र श्री जीवनलाल महावर को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता श्री मुकेश महावर पुत्र श्री जीवनलाल महावर द्वारा उक्त भूखंड के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास, कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 525 योजना गणेश नगर आवास का नाम हस्तान्तरण श्री मुकेश महावर पुत्र श्री जीवनलाल महावर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

**कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा**

क्रमांक:-381 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक:-7.7.22

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड/आवास संख्या kh-173 केशवपुरा-6 आवासीय योजना में आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 22.07.1992 को श्री जयपाल दास पुत्र श्री किशन दास के नाम से आवंटन किया गया था। आवंटी श्री जयपाल दास पुत्र श्री किशन दास द्वारा उक्त भूखंड/आवास जर्ये मुख्तारआम श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री किशोर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2021 को श्री किशोर शर्मा पुत्र श्री पूनमचंद को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता श्री किशोर शर्मा पुत्र श्री पूनमचंद द्वारा उक्त भूखंड के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास, कोटा से चाही जा रही है। अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या kh-173 योजना केशवपुरा-6 का नाम हस्तान्तरण श्री किशोर शर्मा पुत्र श्री पूनमचंद के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

**कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा**

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2022/825 विज्ञप्ति दिनांक:-7.7.2022

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम भदाना में स्थित कृषि भूमि योजना प्रताप कालोनी खसरा नं. 33 में स्थित भूखंड संख्या 14 का भाग आवेदक श्री आसिफ खान पुत्र स्व. श्री जमालुद्दीन निवासी प्रताप कालोनी रंगपुर रोड कोटा द्वारा पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न दस्तावेज में खातेदार राम प्रसाद व जगन सिंह पिसरान चरण सिंह द्वारा राम सिंह पुत्र श्री राम सूरत सिंह को बैचान किया गया था। राम सिंह द्वारा इकरारनामा दिनांक 18.12.1989 से भैया लाल दिनकर पुत्र श्री करजू लाल को बैचान किया गया, जो आवेदक के पास उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। जिसकी एफ.आई.आर. क्रमांक 1448569/2022 दिनांक 17.05.2022 को दर्ज करवाई गई है तथा आवेदक द्वारा अण्डरटेकिंग शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अत: मूल इकरारनामो के अभाव में श्री आसिफ खान पुत्र स्व. श्री जमालुद्दीन के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

# 'सीवरेज लाइनें डालने का 96 प्रतिशत काम पूरा, मात्र 14.22 किमी का कार्य शेष'

**कोटा,** (निसं)। आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियंता राकेश गर्ग का कहना है कि आरयूआईडीपी द्वारा कोटा शहर में सीवरेज लाईनें डालने का कार्य युद्धस्तर पर करवाया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द काम को पूरा कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि आरयूआईडीपी द्वारा वर्तमान में शहर के महावीर नगर, तलवंडी एवं विज्ञाननगर, कुन्हाड़ी, बोरखेड़ा, एवं कालातलाब क्षेत्रों में सीवरेज लाईनें डालने का कार्य किया जा रहा है। एसई गर्ग ने कहा कि कोटा शहर में पथरीली चट्टानों को तोड़कर सीवरेज लाईनें डालना काफी चुनौतीपूर्ण है। बावजूद इसके विभाग द्वारा सुचारू रूप से लगातार को गति दी जा रही है। गर्ग ने कई जगहों से सड़कें खोदकर छोड़ देने से आमजन को हो रही परेशानी के आरोपों के जवाब में कहा कि विभाग द्वारा खुदाई और उस जगह को पुन: उसी अवस्था में करने के तय समय अनुसार ही काम करवाए जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। आमजन द्वारा एक गली में खुदाई करवाने के बाद उसे कई दिनों तक ठीक नहीं करवाने के आरोप के जवाब में एसई गर्ग ने कहा कि आरयूआईडीपी द्वारा यदि एक दिन में एक किलोमीटर की खुदाई की जाती है, जिसे पुन: रेस्टोरेशन की स्थिति में लाने में एक से डेढ़ माह का समय लगता है, इस दौरान सीसी रोड की कटर से लाईनिंग करना, सीसी रोड़ को तोड़ना, भारी भरकम मशीनों से चट्टानों तोड़ना, फिर पाईप डालना, उसका मिलना करना, उसके बाद मिट्टी भरने और अन्त में उस पर वापस गिट्टी करके सीसी या डामरीकरण कार्य करवाना होता है। इस पूरी प्रक्रिया मे एक से डेढ़ महीने का समय लग जाता है।

एसई राकेश गर्ग ने कहा कि बारिश में मौसम में खुदाई के बाद कीचड़ की शिकायतें मिलने पर फिलहाल खुदाई का काम पूरी तरह रोक दिया गया है, और जहां कहीं भी लाईनें डल चुकी हैं वहां पर सडक दुरूस्तरीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। जिससे आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सीवरेज लाईनें डालने के लिए विभाग द्वारा 250 भारी भरकम मशीनें लगाई गई हैं 1900 श्रमिकों को लाईनें डालने व सड़क दुरूस्तीकरण आदि कार्यों में लगाया हुआ है।

आरयूआईडीपी के एसई राकेश गर्ग ने कहा कि आरयूआईडीपी द्वारा युद्धस्तर पर सीवरेज लाईनें डालने के चलते अब तक 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शहर में आरयूआईडीपी द्वारा 360.82 किलोमीटर में से अब तक 346.60 किलोमीटर क्षेत्र सीवरेज लाईनें बिछाई जा चुकी हैं, अब मात्र 14.22 किलोमीटर का कार्य ही शेष रहा है। कार्य के प्रति विभाग की तत्परता व गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विगत महीने में विभाग द्वारा एक महीने में लगभग 40 किलोमीटर क्षेत्र में सीवरेज लाईनें बिछाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसे एक रिकॉर्ड के रूप में माना जा सकता है।

अधीक्षण अभियंता राकेश गर्ग ने कोटा शहर की जनता से अपील की है कि आरयूआईडीपी आमजन की परेशानियों और सहूलियत के अनुसार काम करने में तत्पर है। यदि किसी भी शहरवासी को कार्य के प्रति कोई लापरवाही महसूस होती है तो वो विभाग के टोल फ्री नंबर 18001806125 पर कॉल कर समस्या बता सकते हैं, विभाग द्वारा तुरंत उस परेशानी को दिखवाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आमजन से आरयूआईडीपी द्वारा करवाए जा रहे सीवरेज लाईनें डालने के कार्य में सहयोग करने एवं धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को घर के सामने खुदाई होने एवं आवागमन होने से परेशानी हो रही है, लेकिन जब यह काम पूरा हो जाएगा तब लोगों को इस कार्य की अहमियत समझकर खुशी भी महसूस होगी। सीवरेज लाईनें डलने के बाद जब घरों से सीवरेज लाईनों के कनेक्शन हो जाएंगे, जब शहर की कॉलोनियों में काफी हद तक नालियों में गंदा पानी, नालियों में जमा गंदे पानी और उससे घरों में होने वाली सीपेज की समस्या और गंदगी से कई दशकों तक निजात मिल जाएगी।

**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक 1517 जाहिर आम सूचना दिनांक - 7.7.22

आवास संख्या 3/404 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा को किया गया था। श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 18.09.2020 को श्री अरुण शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को वसीयत किया गया है। श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा की मृत्यु दिनांक 30.03.2021 को हो चुकी है। श्री अरुण शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम वसीयतनामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन वसीयतनामा के आधार पर श्री अरुण शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन वसीयतनामा के आधार पर श्री अरुण शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन वसीयतनामा के आधार पर श्री अरुण शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

**कार्यालय नगर परिषद बून्दी**

क्रमांक:- 2424 दिनांक:-7.7.22

**निविदा सूचना**

नगर परिषद बून्दी द्वारा जारी निविदा सं.: 4315 दिनांक 04.07.2022 की निविदा दिनांक 05.07.2022 से दिनांक 21.07.2022 सायं 6.00 बजे तक ऑनलाईन विक्रय की जावेगी। निविदा दिनांक 22.07.2022 को 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा 22.07.2022 को 4.00 बजे ऑनलाईन खोली जावेगी। विस्तृत शर्तें व विवरण निविदा sppp.rajasthan.gov.in/eproc.rajasthan.gov.in पर DLB2223SLOB10116,तथा कार्यालय समय में किसी भी कार्यदिवस को नगर परिषद में देखा जा सकता है।

आयुक्त

नगर परिषद बून्दी

# पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आयोजित

**कोटा,** (निसं)। जिला कलक्टर ओमप्रकाश बुनकर ने माह के प्रथम गुरूवार को सुल्तानपुर के दीगोद में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में भाग लेकर आमजन की समस्याओं को सुना तथा संबंधित विभागों के माध्यम से त्वरित समाधान कराया।

ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में उन्होंने परिवादियों से व्यक्तिगत रूबरू होकर जन समस्याओं का संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दीगोद में देवपुरा रोड़ पर एवं बगीची की तरफ सीएडी के बने नाले के क्षतिग्रस्त होने से बस स्टेण्ड पावर हाउस एवं ग्राम पंचायत रोड़ पर भर जाने को गम्भीरता से लेते हुए सीएडी के अधिकारियों को शीघ्र नाला दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में ग्रामीण महिलाओं ने नालियों का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी फैलने का परिवाद प्रस्तुत करने पर उन्होंने विकास अधिकारी एवं पटवारी को निर्देश दिए कि वे पूरी ग्राम पंचायत का मौका मुआयना ऐसे स्थानों या सड़कों का चिन्हिकरण करें जहां पर नालियों का निर्माण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर पंचायत स्तरीय बैठक में प्रस्ताव पारित कर शीघ्र नालियों का निर्माण कराएं जिससे ग्रामीणों का आवागमन भी सुगम होगा और अनावश्यक बिमारियों से भी बचाव हो सकेगा।

जिला कलेक्टर को जनसुनवाई में ग्राम परलिया के ग्रामीणों ने शमशान के रास्ते पर अतिक्रमण होने से आवागमन में आ रही परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए उपखण्ड एवं विकास अधिकारी को खण्ड विकास अधिकारी को मौके पर टीम भेजकर त्वरित कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। टीम द्वारा जनसुनवाई समाप्त होने से पूर्व ही मौके पर जेसीबी की सहायता से रास्ते में हो रहे अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया।

राधेश्याम को मिला आवासीय पट्टा:- जनसुनवाई में ग्राम दीगोद के निवासी राधेश्याम मीणा ने अवगत कराया कि आवेदन के बाद पंचायत भी आवासीय पट्टा पंचायत द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवासीय पट्टा जारी करवाने का अनुरोध किया। जिला कलक्टर ने जनसुनवाई में मौक पर ही अधिकारियों से जानकारी लेकर राधेश्याम को पात्र पाए जाने पर ग्राम पंचायत से पट्टा तैयार करवाकर जनसुनवाई में पट्टा प्रदान किया गया।

जिला कलेक्टर ने सभी जिला एवं पंचायत स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवादों का समन्वय स्थापित करते हुए सात दिवस में निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याएं अधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है उनका जनसुनवाई में दर्ज होने का इंतजार नहीं कर मौके पर जाकर त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाये। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कावेन्द्र सिंह सागर ने कहा कि अधिकारी जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली समस्याओं का समय पर निराकरण करें। उन्होंने ग्रामीणों से आव्हान किया कि सभी नागरिक आपसी भाईचारा एवं सौहार्द्र बनाए रखकर समस्याओं के निराकरण में एक-दूसरे की मदद करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर स्थानीय कार्यालयों में अधिकारियों से सीधा संपर्क कर उसका निराकरण कराएं। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह, उपखण्ड अधिकारी दीगोद हरविंदर सिंह, विकास अधिकारी मजहर इमाम, सीएमएचओ डॉ. भूपेन्द्र सिंह तंवर, स्थानीय सरपंच कपिल मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं पंचायत स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक 1494 जाहिर आम सूचना दिनांक: 6.7.22

आवास संख्या 2-क्यू-22 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती राम जानकी पोरवाल पत्नी श्री ओ.पी. पोरवाल को किया गया था। श्रीमती राम जानकी पोरवाल पत्नी श्री ओ.पी. पोरवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनामा, मुख्तारनामा आम एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 14.03.1988 को श्री प्रीतम दास बलेचा पुत्र श्री पेवंद मल को किया गया। अन्तिम क्रेता श्री प्रीतम दास बलेचा की मृत्यु दिनांक 22.10.1990 एवं उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री बाई की मृत्यु दिनांक 20.04.1993 को हो जाने के पश्चात उनकी पुत्री श्रीमती रीना सोनी पुत्री स्व. श्री प्रीतम दास एवं पत्नी श्री कैलाश सोनी द्वारा उक्त आवास के समस्त मूल प्रपत्र प्रस्तुत कर आवास का नियमितिकरण अपने स्वयं के नाम करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास का नियमितिकरण श्रीमती रीना सोनी पुत्री स्व. श्री प्रीतम दास एवं पत्नी श्री कैलाश सोनी के नाम करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती रीना सोनी पुत्री स्व. श्री प्रीतम दास एवं पत्नी श्री कैलाश सोनी के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का नियमितिकरण श्रीमती रीना सोनी पुत्री स्व. श्री प्रीतम दास एवं पत्नी श्री कैलाश सोनी के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक 1501 जाहिर आम सूचना दिनांक - 6.7.22

आवास संख्या 1-एफ-33 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री हौसला प्रसाद सिंह को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री हौसला प्रसाद सिंह के नाम दिनांक 21.02.2000 को किया गया। श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री हौसला प्रसाद सिंह की मृत्यु दिनांक 21.03.2002 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत उनके समस्त वारिसानों श्री हौसला प्रसाद सिंह पुत्र स्व. श्री हीरा लाल, श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हौसला प्रसाद सिंह व श्रीमती सुषमा देवी पुत्री श्री हौसला प्रसाद सिंह पत्नी श्री बहादुर सिंह चौहान द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 23.05.2022 को अपने पुत्र व भाई श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री हौसला प्रसाद सिंह के पक्ष में किया गया। श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री हौसला प्रसाद सिंह द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री हौसला प्रसाद सिंह के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री हौसला प्रसाद सिंह का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री हौसला प्रसाद सिंह के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

**कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण ( राज. )**

क्रमांक:-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2022/3565 दिनाक:-5.7.22

**स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नीलम सूद पत्नी स्व. श्री विजय कुमार सूद, श्री अनिल कुमार सूद पुत्र स्व. श्री मदन मोहन सूद एवं श्री संजीव कुमार सूद पुत्र स्व. श्री मदन मोहन सूद निवासी भूखण्ड संख्या 248, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) ने नगर निगम, कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 248 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 248 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी, चम्बल योजना, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 1084/MCK/दिनांक 28.02.1961 से श्री मदन मोहन सूद पुत्र श्री देव दत्त सूद को किया गया। श्री मदन मोहन सूद का देहावसान दिनांक 17.10.2011 को हो जाने के उपरान्त श्री मदन मोहन सूद के विधिक वारिसान श्री अंकित सूद पुत्र स्व. श्री विजय कुमार सूद, श्री अपूर्व सूद पुत्र स्व. श्री विजय कुमार सूद एवं श्री अमन सूद पुत्र स्व. श्री विजय कुमार सूद ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 25.02.2017 से उक्त भूखण्ड में से स्वयं का हक श्रीमती नीलम सूद पत्नी स्व. श्री विजय कुमार सूद के पक्ष में त्याग दिया है। श्री मदन मोहन सूद के विधिक वारिसान श्रीमती नीलम सूद पत्नी स्व. श्री विजय कुमार सूद, श्री अनिल कुमार सूद पुत्र स्व. श्री मदन मोहन सूद एवं श्री संजीव कुमार सूद पुत्र स्व. श्री मदन मोहन सूद द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा दक्षिण के उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी भी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण

# एलन कॉमर्स के ओरियन्टेशन में 500 स्टूडेंट्स व पेरेन्ट्स शामिल हुए

**कोटा,** (निसं)। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किए गए एलन कॉमर्स के प्रति स्टूडेंट्स में उत्साह नजर आ रहा है। कक्षा 11 में अध्ययनरत स्टूडेंट्स का पहला बैच 7 जुलाई से शुरू हुआ। पहले दिन ओरियन्टेशन जवाहर नगर स्थित समरस सभागार में हुआ।

इस ओरियन्टेशन सेशन में 500 स्टूडेंट्स व पेरेन्ट्स मौजूद रहे। ओरियन्टेशन सेशन की शुरुआत दीप प्रज्जवलन के साथ हुई। शुरुआत में एलन के व्होल टाइम एग्जीक्यूटिव आनन्द माहेश्वरी ने एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के संस्कार से सफलता तक के सफर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के क्षेत्र में एलन का नाम पूरे देश में विख्यात है, उसी तरह अब कॉमर्स के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ शिक्षा और श्रेष्ठ परिणामों के लिए एलन जाना जाएगा। एलन अपनी श्रेष्ठता के संकल्प को बरकरार रखेगा।

सीए सौरभ मूंदड़ा ने अकेडमिक कैलेंडर को लेकर स्टूडेंट्स व पेरेन्ट्स से बात की। उन्होंने स्टूडेंट्स के दायित्व के साथ-साथ अभिभावकों के दायित्वों के बारे में भी बताया। वहीं कहा कि एलन बेस्ट एनवायरमेंट देगा लेकिन उसका फल तभी आएगा जब घर पर भी बच्चों को बेहतर माहौल और सपोर्ट मिले। इसलिए हर दृष्टि से बेहतर माहौल ही बच्चे को बेहतर बनाएगा। सीए विवेक बंसल ने एलन सिस्टम के बारे में परिचित करवाया।

उन्होंने एलन कॉमर्स की क्लासेज, इस दौरान होने वाली पढ़ाई, सेल्फ असेसमेंट के लिए होने वाले टेस्ट, उपस्थिति को लेकर सिस्टम के बारे में परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि हम सालभर के लक्ष्य को लेकर चलेंगे और हर सप्ताह से लेकर हर माह तक का टारगेट होगा। हमारा प्रयास होगा कि समय पर क्लासेज शुरू हो और निर्धारित समय में पूरी हो। स्टूडेंट्स को डाउट काउंटर्स, स्पेशल सेशन्स के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। पेरेन्ट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से अभिभावकों को अवगत करवाया जाएगा।

राजस्थान सरकार

**कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा**

क्रमांक:-रामपोको/क्रय/सफाई अनुबंध/खुली निविदा/2022-23/1141 दिनांक:-5.7.22

**खुली निविदा सं. 01/2022-23**

(UBN-PCK2223SSOB00002)

इस कार्यालय के अधीन जॉब बेसिस पर सफाई कार्य हेतु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-अनुमानित लागत, टेंडर बेचे जाने व प्राप्त करने, खोलने की तिथि आदि राजस्थान सरकार के पोर्टल website:www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

प्रधानाचार्य

राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय कोटा

राजस्थान सरकार

**जिला स्वास्थ्य समिति**

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा**

क्रमांक/एन.एच.एम./डी.पी.एम.यू./2022-23/6495 दिनांक: 06.07.2022

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोटा के तहत एक वर्ष के लिए वर्णित प्रिंटिंग व फ्लेक्स सामग्री हेतु ई-निविदा हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से खुली बोली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

| कार्य का नाम | अनुमानित लागत | निविदा प्रपत्र शुल्क | RISL प्रोसेसिंग शुल्क रु. | निविदा धरोहर राशि | निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ/अंतिम तिथि एवं समय | निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रिंटिंग व फ्लेक्स सामग्री हेतु निविदा UBN No.... (MHS2223SLOB02160) | 25.00 लाख | 1000/- | 500/- | राशि रु. 50,000/- | दिनांक 07.07.2022 से दिनांक 18.07.2022 को दोपहर 02 बजे तक | दिनांक 18.07.2022 को सायं 04 बजे स्वास्थ्य भवन प्रथम, तल, नयापुरा कोटा |

बोली की विस्तृत शर्तें एवं सूचना https://sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 07.07.2022 से देखी जा सकती है अंतिम तिथि एवं नियत समय तक जमा करावें।

सदस्य सचिव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा